

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: ई/चि.अ./आर-2616/2024/ दिनांक :

**संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
जोन जोधपुर एवं केस प्रभारी अधिकारी।**

विषय: एस.बी.सि.रि.पिटीशन संख्या 3343/2024 डॉ० राजेश कुमार बनाम सरकार व अन्य के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर एस.बी.सि.रि.पिटीशन संख्या 3343/2024 डॉ० राजेश कुमार बनाम सरकार व अन्य प्रकरण में आपको केस प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है एवं उक्त प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दिनांक 07.03.2024 को आदेश पारित कर राज्य सरकार के आदेश दिनांक 22.02.2024 की क्रियान्विति को स्थगित किया गया एवं आदेश दिनांक 19.03.2024 द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2024 को स्पष्ट करते हुये प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 04 को आक्षेपित आदेश पारित किये जाने से पूर्व पदस्थापन स्थान पर निरन्तर रखे जाने के आदेश पारित किये गये।

अतः एस.बी.सि.रि.पिटीशन संख्या 3343/2024 डॉ० राजेश कुमार बनाम सरकार व अन्य में पारित अन्तरित आदेश दिनांक 19.03.2024 के विरुद्ध संबंधित शाखा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करते हुए, श्री महावीर विषनोई, अतिरिक्त महाधिवक्ता से सम्पर्क कर, प्रकरण में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 19.03.2024 के विरुद्ध स्टे वेकेट प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दायर कर एवं प्रकरण का जवाब प्रस्तुत कर अन्तरिम आदेश को अपास्त कराने की कार्यवाही करते हुए निदेशालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करावे।

**अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।
दिनांक : 04/06/2024**

क्रमांक: ई/चि.अ./आर-2616/2024/230

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, श्रीमान निदेशक (जन स्वास्थ्य), मुख्यालय।
2. उप विधि परामर्शी मुख्यालय।
3. प्रभारी राजहैल्थ पोर्टल अनुभाग, मुख्यालय।
4. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को संबंधित को ई-मेल एवं विभागीय बेवसाईट पर अपलोड वास्ते।
5. रक्षित पत्रावली।

RajKaj Ref
7700093



**अति० निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान, जयपुर।**
Signature valid
Digitally signed by Raj Prakash
Sharma
Designation : Additional Director
Date: 2024.06.03 15:09:40 IST
Reason: Approved